

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत..... मुकाम.....

(SDO) बायतु

किशोरराम बनाम गोरधनराम वीरा

किस्म मुकदमा... सी. आर. एन. III. 128 RLE नं. 17/22 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
06/01/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>उतनाराम चौधरी</u></p> <p>ने यह प्रार्थनो पत्र/वाद/अपील धारा <u>III. 128 RLE</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>21/02/2022</u> को पेश हो।</p>	
21/02/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्रार्थी- गणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी मिजवाके गये जिनकी डिप्लोड वसिने प्रार्थी सहायक द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसे शामिल पत्रावली विप्रा गण/विप्रार्थीगण वाकबुद सूचना अनुपस्थित रहे जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रारम्भ में लाई जाती है कितः वास्ते वदम पत्रावली दिनांक 08/03/2022 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु</p> <p>सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु</p>

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

08/03/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कण बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पोलना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) वायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / प्रार्थी
1. किशनार
2. धनार
ज

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक/वाद/2022/ 127

दिनांक:- 08/03/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. किशनाराम पुत्र मूलाराम,
2. धनाराम पुत्र किशनाराम,
जाति जाट, निवासी डूंगरोणियों की ढाणी,
पटवार मण्डल सवारु पदमसिंह,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. गोरधनराम पुत्र देवाराम वगैरा 19,
जाति जाट, निवासी उगरोणियों की ढाणी,
पटवार मण्डल शहर,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 17/2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - उगरोणियों की ढाणी, पटवार मण्डल - शहर, तहसील - गिड़ा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 278/210 रकबा 8.3527 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

कमांक/वाद /2022/ 128 to 132
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
3. पटवारी हल्का शहर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थी श्री किशनाराम पुत्र मूलाराम वगैरा 2,
5. विप्रार्थी श्री गोरधनराम पुत्र देवाराम वगैरा 19,
6. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

(जगदीश सिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 08/03/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु

(128) पटवार